कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 19.06.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2017 को सांय 5.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में M/s Tibba Dana Sher Co. Op. L/c Society Ltd., Hisar को अनुबंध संख्या 10/2016–17 के अन्तर्गत आवंटित कार्य "Restoration and Repair of Sadul Branch from RD 142.200 to 170.000 (Km. 43.342 to 51.816)" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री राजकुमार चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़।

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़ प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुये तथा श्री बलजीत सिंह पूनिया, अधिकृत प्रतिनिधि क्लेमेण्ट की ओर से उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा क्लेम्स, विभागीय जवाब एवं तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना जाकर क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

Claim No. 1- Earnest money lying with the respondent worth Rs. 2,40,310/-

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत राशि रूपये 2,40,310/– धरोहर राशि के रूप में विभाग में जमा करवाई गई थी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। उक्त राशि मय 18.00 प्रतिशत ब्याज के फर्म को लौटाई जावे।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कार्य सम्पादन नहीं करने के कारण मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़ के आदेश सं0 एफ.2/लेखा/III/ 10993 दिनांक 09.11.2016 द्वारा कार्य के प्रथम स्पान की अवधि तक अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत असंपादित कार्य की राशि रूपये 57,70,442/– रूपये पर 10 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 5,77,044/– की क्षतिपूर्ति शास्ति फर्म के विरूद्ध आरोपित की गई। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.2- Regarding work of Jungle clearance & laying of TBM etc.

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा उक्त अनुबंध के अन्तर्गत Jungle clearance & laying of TBM etc. का कार्य करवाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उक्त कार्य माप नहीं करते हुए, फर्म को भुगतान नहीं किया गया है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के अन्तर्गत जी–अनुसूचि की आईटम सं. 03 में Uprooting of Juli flora/ Sarkanda or arrows imomoea 0.51 m depth

below ground level का प्रावधान लिया गया है। फर्म द्वारा उक्त आईटम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का जंगल सफाई से सम्बन्धित कार्य सम्पादन नही किया गया, फर्म द्वारा जी–अनुसूचि के आईटम सं0 17 में Construction of Bench mark muttam का कार्य अवश्य किया गया था, लेकिन जांच के दौरान उक्त कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाया गया, यानि Below Specification पाया गया। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.3- Expected profits worth Rs. 72.00 lacs

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा विभाग के साथ उक्त कार्य का अनुबंध राशि रूपये 480.62 लाख का निष्पादित किया गया था, जिसमें फर्म द्वारा 15 प्रतिशत की दर से काल्पनिक गणना अनुसार राशि रूपये 72.00 लाख का लाभ दर्शाते हुए, भुगतान किये जाने की मांग की गई।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य का अनुबंध सं0 10 वर्ष 2016–17 राशि रूपये 4,61,63,535/– का निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 07.07.2016 एवं कार्य समाप्ति दिनांक 06.06.2017 निश्चित थी। विभाग द्वारा फर्म को बार–बार लिखित एवं मौखिक रूप से कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया इसके उपरान्त भी संवेदक फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया एवं फर्म द्वारा 15 प्रतिशत की दर से काल्पनिक गणना अनुसार लाभ का उल्लेख किया गया है, जो कि निराधार है तथा अनुबंध में इस प्रकार के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.4- Litigation expenses

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के अन्तर्गत विभाग के विरूद्ध विधि कार्यवाही सम्बन्धी न्यायिक वाद खर्च के 2.00 लाख रूपये दिलाये जाये।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की निविदा स्वीकृति की दिनांक से ही फर्म द्वारा इस कार्य को नहीं करने की धारना प्रदर्शित हो रही थी, जिसके कारण विभाग को अनावश्यक कार्यवाही और पत्राचार करने हेतु बाध्य किया गया, जिसके लिए फर्म ही इस विवाद एवं न्यायिक कार्यवाही हेतु जिम्मेवार है। अतः संवेदक का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.5- Interest

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि क्लेम राशि पर 18.00 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि दिलवायी जावे।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व उल्लेखित बिन्दुओं में काल्पनिक गणनाओं पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज उल्लेखित किया गया है। जबकि संवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई भी क्लेम मान्य एवं देय नहीं है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त किये जाने योग्य हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः क्लेम्स पर ब्याज दिये जाने का क्लेम भी निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राजकुमार चौधरी)	(विनोद शाह)	(लोकेश तिवाड़ी)	(जाकिर हुसैन)	(शिखर अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता,	अति. सचिव एवं	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
जल संसाधन उत्तर,	मुख्य अभियन्ता,	प्रतिनिधि विधि विभाग	प्रतिनिधि वित्त विभाग	जल संसाधन विभाग
हनुमानगढ	जल संसाधन राज, जयपुर			राजस्थान, जयपुर।